	नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" **केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़** जिला श्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509—223873 ई—मेल %ago.csfsuratgarh@gmail.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar	

सी.एस.एफ./सूरत./2—आउटर्सोस/कृषि/2024—25/ दिनॉक: 16.05.2024

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़** जिला श्री गंगानगर (राज.) में फार्म के 3 खण्ड़ों के 12 चकों की कुल 2610.90 हैक्टर जमीन **2+1 वर्ष के फसल सत्र (खरीफ 2024, रबी 2024—25 एवं जायद 2025 के सीजन व खरीफ 2025 रबी 2025—26 एवं जायद 2026)** के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से फसलों के उत्पादन में हिस्से के आधार पर भुगतान हेतु ऑफलाइन सीलबंद निविदायें दिनांक 24.05.2024 को दोपहर 1.00 बजे तक आमंत्रित की जा रही हैं जो उसी दिन शाम को 3.00 बजे खोली जायेंगी। निविदा की विस्तृत जानकारी, नियम व शर्त) निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com से डाउनलोड की जा सकती है या किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। निविदा में भाग लेने के लिए रूपये 2000/— निविदाफार्म शुल्क व रूपये 1000/— मात्र प्रति हैक्टर (रूपये प्रन्द्रह सौ मात्र) के हिसाब से धरोहर राशि के डी.डी./NEFT/Online माध्यम से जो की राष्टीय बीज निगम के नाम से देय होगा फार्म खाते में जमा कराना होगा। यदि निविदा से सम्बधित कोई शुध्दि पत्र जारी किया जाता है तो वह निगम की वैबसाइट www.indiaseeds.com पर ही जारी किया जायेगा।

फार्म प्रमुख

Check list for Technical Requirement of Tender

Particulars	**Details**
Copy of Pan Card	
Copy of ID Proof i.e. Aadhar Card/Driving License/Rashan Card etc.	
Payment deposited details (NEFT/RTGS no.)	
Cancelled Check	

दिनांक– 16.05.2024

निविदा–प्रपत्र

समस्त कृषि क्रियाओं व प्रयोग में लाये जाने वाले सभी आदानो की एवज में हिस्सा आधारित उत्पादन पद्वति के आधार पर खरीफ 2024–25, रबी 2024–25 व 2025–26 एवं जायद 2025 व 26 में केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर के खण्ड–1 का 1151.40 हैक्टयर , 6 चक (चक न. - 35 STG-154.40 है0, चक न.- 37 STG-276.00 है0 , चक न 39 STG – 264.40 है0, चक न 41 STG – 182.20 है0, चक न. BRP-1 – 71.60 है0, चक न BRP-3 – 202.80 है0.) , Block-2 771.50 हैक्टयर 3 चक (चक न. 31 A PBN- 203.20 है0, चक न 31 B PBN – 256.80 है0, चक न RPM-1 – 311.50 है0) Block-3 688-00 हैक्टयर, 3 chaks (चक न. 3 SGM 130.00 है0, चक न - 4 SGM – 242.00 है0, चक न 5 SGM – 316.00 है0.) कुल 2610.90 हैक्टयर जमीन पर बीज उत्पादन के लिए निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है :-

1- निविदादाता का नाम व पता:--
2- वोटर आई कार्ड / आधार कार्ड न.(प्रतिलिपी सहित)---
3- फोन न. ---
4- पैन कार्ड न. ---
5- अमानत राशि का विवरण डी.डी. न. सहित---

क.स.	खण्ड संख्या	प्रस्तावित चक का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र हैक्टयर में	फसल का नाम / सत्र			फसल उत्पाद हिस्से की दर प्रतिशत में जो कि ठेकेदार द्वारा फार्म से ली जायेगी
				Kharif 2024 & 25	**Rabi 2024-25 & 2025-26**	**Summer 2025&26**	
1	I	35 STG	154.40	उर्द, मूँग,धान , ग्वार व अन्य फसले आवंटन अनुसार	सरसों, चना, गेहूँ, जौ, जई, पालक व अन्य फसले आवंटन अनुसार	मूँग व अन्य फसले आवंटन अनुसार	
2	I	37 STG	276.00				
3	I	39 STG	264.40				
4	I	41 STG	182.20				
5	I	BRP-1	71.60				
6	I	BRP-3	202.80				
		Total	**1151.40**				
7	II	31 A PBN	203.20				
8	II	31 B PBN	256.80				
9	II	RPM-1	311.50				
		Total	**771.50**				
10	III	3 SGM	130.00				
11	III	4 SGM	242.00				
12	III	5 SGM	316.00				
		Total	688.00				
		G. Total	**2610.90**				

मैने निविदा की नियम व शर्ते अच्छी तरह पढ व समझ ली है। मै फार्म द्वारा निर्धारित नियम व शर्तो के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हूँ। इस आश्य का शपथ पत्र 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य स्वीकृत होने पर प्रस्तुत कर दूंगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर................................
निविदादाता का नाम ....

CENTRALSTATEFARM,SURATGARH.

The Statement Showing Chak, AreaWater availability & There Share details.

(Area in Hect.)

Block	CHAKS	Culturable/ Irrigated Area	Culturable area Proposed for Out source in Hect.	No. of Tube-well at chak	Authorized Water Discharge in Cusec	Water Share details
1	2	3	4	5	6	7
1	35 STG	154.40	154.40	-	2.05	The share of the water will be based on the proportion of the total area outsource to that of the chaks cultivated area.
	37STG	276.00	276.00	-	2.19	
	39 STG	264.40	264.40	3	2.02	
	41 STG	182.20	182.20	-	1.43	
	BRP-1#	291.20	71.60	-	3.36	
	BRP-3	202.80	202.80	-	5.22	
	TOTAL	**1371.00**	**1151.40**			
2	31 A PBN	203.20	203.20	3*	4.19*	
	31 B PBN	256.80	256.80			
	RPM-1	311.50	311.50	4**	2.55	
	TOTAL	**771.50**	**771.50**			
3	3 SGM	224.60	130.00	-	2.71	
	4 SGM	242.00	242.00	2	2.21	
	5 SGM	316.00	316.00	1	2.37	
	TOTAL	**782.60**	**688.00**			
G. TOTAL		**2925.10**	**2610.90**			

* = चक 31 A PBN & 31 B PBN के सामने दर्शाये गये पानी के संसाधन (ट्यूबवैल व नहरी पानी) दोनो चको के लिए उपलब्ध रहेगें। संसाधनो की उपलब्धता का समय उस चक पर बिजाई किये गये क्षेत्र के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

**= चक RPM-1 पर कुल उपलब्ध ट्यूबवैल की संख्या 8 है जिसमें से 4 चालू स्थिति मे है व 4 खराब है।

#= चक का हिस्सा आधारित पद्वति के तहत दिये जाने वाले 71.6 हैक्टयर क्षेत्र का मुरब्बावार विवरण annexure **1** में देखा जा सकता है।

Note:- चको पर उपलब्ध पानी का विवरण, नहर के पानी की उपलब्धता के अनुसार परिवर्तित हो सकता है। आउटसोर्स के लिये कॉलम संख्या–4 अनुसार एरिया निर्धारित रहेगा, जिसमें चकवार **उत्पादन लक्ष्य** को annexure 2 में देखा जा सकता है।

Annexture-1

S.No.	Block No.	Chak No.	Square No.	Area in Ha.
1	I	BRP-I	7E/345	0.80
2	I	BRP-I	8E/345	5.60
3	I	BRP-I	8E/346	5.60
4	I	BRP-I	7E/346	5.60
5	I	BRP-I	7E/347	5.60
6	I	BRP-I	8E/347	5.60
7	I	BRP-I	8E/348	5.20
8	I	BRP-I	7E/348	5.60
9	I	BRP-I	7E/349	5.60
10	I	BRP-I	8E/349	5.20
11	I	BRP-I	8E/350	5.20
12	I	BRP-I	7E/350	5.60
13	I	BRP-I	7E/351	5.60
14	I	BRP-I	8E/351	4.80
			Total	**71.60**

TARGET YIELD FOR OUTSOURCE CHAK FOR 2024-25 & 2025-26

Annexture-2

Season	Chak No.	CROP	Final Targer Avg Yld per Ha. In Qtls
KHARIF	**35 STG**	PADDY	40.09
		MOONG	5.29
		GUAR	4.20
RABI		MUSTARD	**14.23**
		GRAM	15.47
		WHEAT	38.98
		OAT	13.46
KHARIF	**37 STG**	PADDY	36.55
		MOONG	3.77
		GUAR	4.20
		MUSTARD	11.62
		GRAM	11.63
		WHEAT	36.46
		BARLEY	34.56
KHARIF	**39 STG**	PADDY	42.96
		MOONG	6.84
		GUAR	3.49
RABI		MUSTARD	11.94
		GRAM	10.83
		WHEAT	34.89
		BARLEY	28.55
KHARIF	**41 STG**	PADDY	44.67
		MOONG	4.60
		GUAR	4.20
RABI		MUSTARD	15.89
		GRAM	14.93
		WHEAT	33.47
		BARLEY	30.22
KHARIF	**BRP-1**	PADDY	28.97
		GUAR	3.23
		MOONG	4.91
		MUSTARD	20.39
		GRAM	6.79
		WHEAT	43.78
		BARLEY	25.09

Season	Chak No.	Crop	Final Targer Avg Yld per Ha. In Qtls
KHARIF	BRP-3	PADDY	49.72
		MOONG	3.10
		GUAR	4.20
RABI		MUSTARD	19.56
		GRAM	15.00
		WHEAT	38.45
		BARLEY	26.02
KHARIF	31 A PBN	PADDY	32.57
		MOONG	2.59
		GUAR	3.18
RABI		MUSTARD	13.52
		GRAM	7.31
		WHEAT	27.60
		BARLEY	27.76
		OAT	11.60
KHARIF	31 B PBN	PADDY	36.47
		MOONG	1.96
		GUAR	1.50
RABI		MUSTARD	13.00
		GRAM	5.34
		WHEAT	31.32
		BARLEY	28.92
		OAT	13.57
KHARIF	RPM-1	PADDY	40.95
		MOONG	1.62
		GUAR	2.92
RABI		MUSTARD	16.19
		GRAM	7.82
		WHEAT	33.83
		BARLEY	32.11
		OAT	17.88
KHARIF	3 SGM	PADDY	-
		MOONG	2.95
		GUAR	7.70
RABI		MUSTARD	14.20
		GRAM	5.96
		WHEAT	33.40
		BARLEY	26.33
		OAT	16.68
KHARIF	4 SGM	PADDY	-
		MOONG	3.28
		GUAR	6.32
RABI		MUSTARD	11.95
		GRAM	3.96
		WHEAT	30.63
		BARLEY	28.35
		OAT	12.62

Season	Chak No.	Crop	Final Targer Avg Yld per Ha. In Qtls
KHARIF	5 SGM	PADDY	-
		MOONG	3.60
		GUAR	5.10
RABI		MUSTARD	17.08
		GRAM	4.87
		WHEAT	30.63
		BARLEY	32.51
		OAT	13.69

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़

समस्त शस्य क्रियाओं व प्रयोग में लाये जाने वाले सभी आदानों की एवज में हिस्सा आधारित उत्पादन पद्धति के लिए नियम व शर्तें ।

1. **निविदा में भाग लेने के लिए निविदादाता को धरोहर राशि रुपये-1000/- प्रति हेक्टेयर मात्र,** DD/NEFT/RTGS/BG**BG (बैंक गारंटी) द्वारा जमाकरनाहोगी (जो एक अनुसूचित बैंक द्वारा बना हुआ हो)जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सूरतगढ़ के नाम पर देय हो, जमा करना होगा।असफल निविदादाता की** EMD **वापस की जायेगी व सफल निविदादाता को फार्म से कार्य आदेश जारी होने के 15 दिन के अंदरसुरक्षा धनराशि 2000 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाव से या बैंक गारंटी के माध्यम से फार्म मे जमा करनी होगी । बैंक गारंटी कार्य आदेश जारी होने से कम से कम ढाई वर्ष आगे तक मान्य होनी चाहिए। जिसे आवश्यकता पड़ने पर आगे बढ़वाया जा सकता है। सफल निविददाता की बयाना राशि (ईएमडी), सुरक्षा निधि जमा करने पर वापस कर दी जाएगी. या उसके लिखित अनुरोध के बाद सुरक्षा जमा राशि में समायोजित की जा सकती है यदि सफल निविददाता 15 दिनों के अंदर शेष सुरक्षा राशि जमा नहीं करते हैं तो जमा की गई** EMD **जब्त कर ली जाएगी। कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर सुरक्षा राशि,बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। निविददाता को पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्थायी पता और बैंक खाते का विवरण देना होगा।**
2. **अगर किसी निविदादाता की आउटसोर्सिंग के समय में और उसके उपरान्त देय भुगतान के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसकी देय राशि का भुगतान उसके द्वारा नामित व्यक्ति को किया जाएगा जिसको निविदादाता के द्वारा टेंडर भरते समय नामित करना होगा। नामित करने हेतु निविदादाता को 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर संबंधित व्यक्ति को नामित करते हुए इसके साथ उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि जमा करने होगे तथा इस पर नामित व्यक्ति के हस्ताक्षर को निविदादाता के द्वारा प्रमाणित करना होगा।**
3. **निविदादाता टेंडर बॉक्स में निविदा डालने के बाद यदि निविदा वापिस लेना चाहता है तो वह निविदा देने के निर्धारित समय से पहले निविदा वापसी का प्रार्थना पत्र दे कर निविदा वापिस ले सकता है परन्तु निर्धारित समय के बाद निविदा वापिस लेने का अधिकार नहीं होगा। निविदा में उच्चत्तम दर (फार्म का हिस्सा) देने वाले सफल निविदादात्ता द्वारा किसी भी कारण से कार्य न करने की अवस्था में जमा अमानत राशि** EMD **वापिस नहीं की जाएगी।**
4. **खेती में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक सभी इनपुट जैसे उर्वरक, कृषि रसायन (कीट एंव बीमारी रसायन) स्वयं ठेकेदार के होंगे और ऐसे उर्वरक व कृषि रसायन जिनसे जमीन कीक्षारियता व लवणीयता के कारण उत्पादकता प्रभावित हो उनका प्रयोग करने से पूर्व फार्म से स्वीकृति लेनी होगी। उर्वरक मे नैनो यूरिया का फसल में छिड़काव के रूप मे उपयोग कर सकता है । बीज फार्म**

द्वारा भुगतान पर (NSC ग्रोवर प्रोग्राम के अनुरूप) उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा बीज खरीद के समय पर ही 50 प्रतिशत किया जाएगा तथा बकाया 50 प्रतिशत बीज राशि की कटौती 70 प्रतिशत देय अग्रिम भुगतान राशि में से समायोजित की जाएगी। किसान को दिये जाने वाले बीज (Planting Material) की दर Grower Programe में दी गई पॉलिसी के अनरूप की जाएगी। जिसके लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की दरों को आधार माना जाएगा, यदि क्षेत्रीय कार्यालय पर उस प्रजाति या फसल का उत्पादन नहीं है तब फार्म समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। पानी नहर की उपलब्धतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। गेहूं की फसल में प्रोपोकोनाजोल (फंगीसाइड फफूदनाशक) दवा का छिडकाव, करनाल बंट नामक बीमारी के नियंत्रण के लिये करना अनिवार्य होगा । यदि ठेकेदार इस दवा का प्रबंध नहीं कर सकता तो फार्म अपने स्तर पर छिडकाव कराएगा तथा इसको करवाने पर दवा, साधन व अन्य किसी भी मद में फार्म खर्च राशि की कटौती निविदाता के 70 प्रतिशत अग्रिम भुगतान राशि में सेसमायोजित की जाएगी । कार्यों हेतु उपयोग में लायी जाने वाली मशीनरी व उपकरण की लिस्ट निविदाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ देनी होगी।

5. खेती से सम्बंधित समस्त कार्य जैसे जमीन की तैयारी, फसल बुबाई-उर्वरक का इस्तेमाल, पलेवा, सिंचाई, कृषि रसायन का इस्तेमाल, सिंचाई नालियों की साफ सफाई, फसल निराई गुडाई, रोगिंग, फसल की रखवाली, काटाई/गहाई, साफ उत्पादन को खलिहान पर पहुंचा कर उतारने आदि में इस्तेमाल सभी श्रमिक व यांत्रिक आपरेशन निविदादाता को करने होंगे। इन सभी कार्यों में होने वाले खर्च के एवज में फसल उत्पादन (साफ व गुणवत्ता युक्त उत्पादन) के हिस्से की धनराशि प्रतिपूर्ति की जायेगी।फार्म के हिस्से का निर्धारण टेंडर के माध्यम से दो वर्ष(2024-25 & 2025-26)के लिये खरीफ 2024 रबी 2024-25, व जायद 2025 एवम खरीफ 2025 रबी 2025-26 ,व जायद 2026 के लिये निर्धारित फसलों के उत्पादन मे से किसान के न्यूनतम हिस्से के आधार पर किया जायेगा जो(2+1)वर्ष के लिये मान्य रहेगा. निविदादाता को उसके देय हिस्से का मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार 70 प्रतिशत आग्रिम भुगतान के रूप में फसल उत्पाद के खलिहान पर प्राप्ति होने पर किया जायेगा तथा शेष 30 प्रतिशत राशि का भुगतान उत्पाद में से रिकवरी प्राप्त होने व फसल उत्पाद की दर निश्चित होने के पश्चात किया जाएगा। यदि किसी फसल का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में राजस्थान फार्मों के लिये श्रीगंगानगर (मूंगफली व मोठ के लिए बीकानेर मण्डी) व हिसार फार्म के लिए हिसार मण्डी के आवक पिरियड के एक माह के अधिकतम न्यूनतम दर के औसत के आधार पर भुगतान किया जायेगा। जिसका समय इस प्रकार होगा :- धान 16 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक, उडद, मूंग, मोठ व मूंगफली 1 नवम्बर से 30 नवम्बर व ग्वार 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, सरसों व चना 16 अप्रैल से 15 मई, गेहूं व जौ 16 मई से 15 जून होगा तथा हिसार फार्म के लिये गेहूं व जौ 15 मई से 30 जून होगा। यदि किसी दलहन फसल की जींस की दर हिसार/हरियाणा मण्डी में नहीं मिलती है तो यू0पी0 की निर्धारित मण्डी की दर पर भुगतान करने का प्रावधान किया जायेगा । जई या अन्य किसी फसल का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निश्चत नहीं होता है और स्थानीय मंडी में भी आवक नहीं होने पर, संस्था की खरीद नीति के अनुसार फार्म प्रमुख द्वारा गठित समिति के द्वारा

स्थानीय मंडी, मार्केट, किसानो, ट्रेडर्स, प्रोसेसर जो बीज से संबंधित लेने-देने करते है से संपर्क कर खरीद दर निर्धारित की जायेगी ।

क. यदि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसी प्रकार का बोनस दिया जाता है तो उसे प्रतिपूर्ति होने वाली राशि में जोडा जाएगा।

ख. किसी अन्य फसल की उपज (निविदाकर्ता का हिस्सा) जिसके लिए भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीकिया है, उसे संबंधित फसल के नजदीकी कृषि उत्पाद विपणन मंडी में औसतन मूल्य पर लिया जाएगा। 30 दिनों के लिए अधिकतम उपज के आगमन अवधि के दौरान संबंधित फसल की अधिकतम और न्यूनतम दर का औसतन दर निर्धारित की जाएगी। फसल अधिकतम उपज के आगमन अवधि पर विचार निगम की न्यूनतम खरीद नीति के अनुसार होगा।

ग. जूट एवं सब्जी फसलों के रा सीड (निविदाकर्ता का हिस्सा) क्षेत्रीय कार्यालय, सिंकंदराबाद के प्रोक्यूरमैंट प्राइस से 20 प्रतिशत कम दर पर खरीदे जायेगे। यदि किसी भी फसल का प्रोक्यूरमैंट प्राइस क्षेत्रीय कार्यालय, सिंकंदराबाद में उपलब्ध नहीं है, तब खरीद मूल्य निगम की निर्धारित प्रोक्यूरमैंट प्राइस के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। किसानों को अग्रिम भुगतान निगम की खरीद नीति के अनुसार जारी किया जाएगा।

घ. यदि बीज फसल परिपक्वता के समय अथवा पूर्व कटाई के समय बारिश अथवा मौसम की अनियमितता से बीज की खेती प्रभावित होती है और रा सीड क्षतिग्रस्त/ फीके रंग के/ खराब हो जाते है, तब ऐसी परिस्थितियों में,निविदाकर्ता के हिस्से के उपज को फार्म ग्रहण नहीं करेगा और कुल उपज में से फार्म के हिस्से की उपज रखने के पश्चात इसे वापस कर देगा। इस प्रकार निविदाकर्ता के खाते में किसी प्रकार के प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी ।

ङ. खलिहान परर‌ा सीड के भौतिक, दोष की सीमा जैसे क्षतिग्रस्त/ विचलित/ खराब/ फीका/ कीटग्रस्त/सूखा अनाज/ मिटटी के कण इत्यादि अधिक पाए जाते हैं अर्थात 15 प्रतिशत से अधिक पाए जाते है तब ऐसे लाट की सफाई (निविदाकर्ता द्वारा) स्वयं के खर्चेपर करनी होगी और रा सीड गैर-बीज की मात्रा 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार प्राप्त होने वाला गैर-बीज यदि कोई, तो क्रमश: फार्म के हिस्से को रखने के पश्चात संबंधित पार्टी को वापस कर दिया जाएगा ।

च. निविदादाता द्वारा खलिहान पर पहुंचाए कम्बाइन मिक्सचर तथा रोगिंग मैटिरियल की मात्रा में से निविदादाता द्वारा फार्म के लिए कोट की गई मात्रा को रख कर शेष मात्रा को निविदादाता को वापस कर दिया जाएगा ।

छ. फार्म द्वारा Raw seed का Intake करते समय यह सावधानी रखनी पड़ेगी कि Raw seed की Quality सही हो एवं कचरा मिट्टी, चूरी, खरपतवार बीजों आदि से पूर्ण तरह मुक्त हो ताकि Seed Recovery निश्चित सीमा से अधिक आए व Processing Loss भी कम से कम रहे। हिस्सा आधारित पद्धति से उत्पादित किसानों से प्राप्त Raw seed की फसलवार न्यूनतम तय की गई Seed Recovery Percentage

क्रम स०	फसल का नाम	न्यूनतम Seed Recovery %
खरीफ फसल		
1	बाजरा, धान	80%
2	मूंग,मोठ,उर्द,गवार,अरहर	78%
3	मूंगफली, तिल	75%

रबी फसल		
1	गेहूँ, जौ	80%
2	चना,सरसों,तोरिया,अलसी	78%
3	जई	75%
	शेष अन्य फसलें	78%

यदि Seed Recovery निश्चित न्यूनतम सीमा से कम आती है तब एसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति इसका आंकलन करेगी तथा फार्म हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कटौती करने का निर्णय लेगी जिसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी

Rate to be fixed if recovery received less than crop wise percentage fixed

$$\frac{\text{Actual seed recovery X Rate/P.Q}}{\text{Crop wise seed recovery percentage fixed}}$$

6. कृषि प्रक्रिया का निर्धारण, फसल व प्रजाति का चयन आवश्यकतानुसार फार्म द्वारा बिजाई के पूर्व किया जायेगा ।
7. यदि किसी कारणवश फार्म सफल निविदाता को आधारीय / प्रमाणिक बीज उत्पादन कार्यक्रम का वितरण नहीं कर पता है तो ऐसी स्थिति में व्यवसायिक फसलों का कार्यक्रम आवंटन सफल निविदाडाटा को किया जाएगा, व्यवसायिक फसलों उत्पाद का फार्म हिस्सा ही रखा जाएगा और निविदादाता का हिस्सा उनको ले जाना होगा उसका भुगतान फार्म द्वारा नहीं किया जाएगा ।
8. निविदादाता द्वारा सम्बंधित चक के सभी कार्य खेत की तैयारी से लेकर प्राप्त उत्पादन को खलिहान पर पहुँचा कर उतारने तक का कार्यसम्बंधित चक इंचार्ज खण्ड प्रभारी व फार्म अधिकारियों के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि व मापदण्डों के अनुसार करना होगा। सफल निविदादाता यदि कोई भूमि सुधार (जैसे भूमि समतल आदि करना) का कार्य करता है तो उस खर्च को ठेकेदार स्वंय वहन करेगा ।
9. निविदादाता को सिंचाई हेतु पानी दिन रात नहर में पानी की सप्लाई में उपलब्ध पानी पर आधारित रहेगा। यदि पानी की कमी होती है तो निविदादाता स्वयं यदि कोई व्यवस्था करता है वह व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा उसका खर्च भी सफल निविदाता को ही वहन करना होगा। यदि निविदाता फार्म चक पर ट्यूबवैल लगाता है तो कार्य पूरा होने पर फार्म प्रशासन व निविदाता की सहमति से निणर्य होगा कि ट्यूबवैल फार्म पर रखने हैं या निविदाता उखाड कर ले जायेगा। ट्यूबवैल व अन्य मशीन चलाने के लिये बिजली का कनेक्शन लेने के लिये फार्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
10. बीज उत्पादन के लिए पृथककरण दूरी, रोगिंग आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निविदाता को चक प्रभारी खण्ड प्रभारी के दिशा निर्देशों के अनुसार करने होगें। बीज प्रमाणीकरण से संबधित बीज प्रमाणीकरण संस्था को देय फीस पहली बार फार्म द्वारा वहन की जायेगी। यदि सही तरीके से रोगिंग न करने के कारण पुन: निरीक्षण किया जाता है तो उसकी फीस निविदाता को भरनी होगी। यदि कोई क्षेत्र बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा फेल होता है तो उससे प्राप्त फसल उत्पाद में से फार्म का हिस्सा रख कर किसान का हिस्सा किसान को वापिस कर दिया जाएगा।

11. **विभिन्न प्रकार के कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की जन धन की हानि एवंम दुर्घटना की वैधानिक व सम्पूर्ण जिम्मेंदारी निविदाता द्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी ईपीएफ,टीडीएस,दुर्घटना मुआवजा तथा समस्त वैधानिक देनदारी का दायित्व निविदाता का होगा। यदि फार्म को किसी मामले में निविदाता की ओर से उस दायित्व निर्वाह में कोई भुगतान करना पडा तो फार्म मय हर्जे, खर्चे को निविदाता को देय राशि से काटने अथवा समायोजित करने को स्वतंत्र होगा ।**

12. **कटाई, थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण साफ उत्पाद को सुखाकर बोरी भर कर व सिलाई करके मानक के अनुसार निर्धारित नमी पर रॉ बीज फार्म को देना होगा। उसके उपरांत पल्लेदारी का कार्य फार्म द्वारा कराया जायेगा तथा वारदाना फार्म द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। मौसम खराब होने की दशा में यदि अधिक नमी पर बिना साफ किया उत्पाद गोदाम में लगाना पडा तो फार्म द्वारा निर्धारित कमेटी द्वारा नमी का आंकलन करने के बाद निर्धारित आवश्यक कटौती की जायेगी ।**

13. **उत्पादन को भण्डारण के समय फार्म द्वारा निर्धारित मानक नमी पर रॉ बीज स्टोर में लिया जायेगा।**

14. **संबधित क्षेत्र में स्थित समस्त चल अचल सम्पति की सुरक्षा की जिम्मेवारी निविदाता की होगी, वह इस बाबत एक हल्फनामा (**Undertaking**) देगा व यथास्थिति में कार्य पूर्ण होने पर इन्हें वापस फार्म को सम्भलवायेगा। फार्म की उक्त चल अचल सम्पति का निविदाता व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा। तथा कोई स्थाई निमार्ण कार्य नहीं करेगा। फार्म से संबधित क्षेत्र की संपत्तियों में किसी प्रकार के नुकसान, चोरी आदि की भरपाई निविदाता से वसूली जायेगी।**

15. **संबधित प्रक्षेत्र पर पशुधन एवंम अन्य क्रियाओं की अनुमति नहीं होगी।**

16. **संबधित प्रक्षेत्र पर कौन सी फसल व किस्म कितने प्रक्षेत्र में ली जानी है उसका निर्धारण फार्म प्रबंधन द्वारा किया जायेगा। तथा फसल का क्षेत्र, बुवाई का समय मौसम की अनुकूलता व प्रतिकूलता एंव सिंचाई पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए फार्म प्रबंधन द्वारा घटाया व बढाया जा सकता है।**

17. **निविदा में दिये गये एरिया को कम व ज्यादा करने एवं निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार फार्म निदेशक को होगा।**

18. **फसल कटाई के उपरांत पशु भेड बकरी चराई से जो आय प्राप्त होगी वह फार्म की होगी।**

19. **फार्म से कृषि उपकरण देने या न देने का निर्णय फार्म का होगा यदि फार्म का कृषि उपकरण मशीनरी उपयोग में आई तो उसका निर्धारित किराया फार्म में जमा कराना होगा।**

20. **हिसार फार्म पर गेहूं फसल के अलावा व राजस्थान के फार्मों पर सभी फसलों का नीरा गूणा (भूसा व तूडी) निविदाता का होगा जिसका निस्तारण गहाई के 15 दिवस के अन्दर वह स्वंय करेगा।**

21. **फसल कटाई, गहाई आदि का कार्य निर्धारित समय सीमा एवं फार्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में करना होगा।**

22. प्रत्येक फसल के प्रति हेक्टर न्यूनतम उत्पादन का लक्ष्य उस चक पर प्राप्त गतपाँच वर्षों में से अधिकतम तीन वर्षों की फसलवार प्रति हेक्टर उपज के आधार परभारित लक्ष्य (<u>Weighted Yield</u>

Target) से निर्धारित किया जायेगा। यदि प्रस्तावित चक/एरिया पर किसी फसल की पिछले 5 वर्षों में किन्ही कारणों से उत्पादकता अपेक्षा से कम रही है या उस फसल का उत्पादन इन 5 वर्षों में इस चक पर नहीं लिया गया है तब ऐसी स्थिति में फार्म अपने स्तर पर इस चक पर उस विशेष फसल की उत्पादकता का लक्ष्य निगम के हित को ध्यान में रखते हुए निश्चित करेगा।

23. **यदि सामान्य परिस्थितियों में उत्पादन, निविदा में दिए गए न्यूनतम उत्पादन लक्ष्य से कम आता है तो निविदादाता एनएससी के उत्पादन लक्ष्य में कमी की भरपाई करेगा। यदि विशेष प्राकृतिक आपदा / परिस्तिथियाँ जिसका पूर्वानुमान नियंत्रण / निदान संभव नहीं है जैसे (युद्ध, बाढ़, भूकंप, तूफान, ओला, पाला, तालाबंधी, नागरिक दंगे, हड़ताल, हँगामा, सूखा पड़ना, महामारी इत्यादि) की वजह से किसी प्रकार का फसलों मे नुकसान होता है उसकी लिखित सूचना निविदादाता द्वारा फार्म प्रसाशन को 10 दिन के अंदर देनी होगी । फार्म के द्वारा इस प्रकार के नुकसान के आंकलन हेतु गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट दी जाएगी, जो कि दोनों पक्षो को मान्य होगी । प्राकृतिक आपदा की वजह से प्रति हेक्टर कम उत्पादन प्राप्त होने पर लक्ष्य का पुनः निर्धारण (Revised Target) हेतु निम्न फार्मूला उपयोग मे लाया जाएगा। जिसमे प्रभावित सभी आउटसोर्स चकों की प्राप्त हुई भारित वास्तविक उपज का दिये गए भारित उत्पादन लक्ष्य प्रति हेक्टरके आधार पर करना है :-**

$$\frac{\text{Cropwise weighted Actual Avg. Yield of all affected Outsourcing chak's of Concerned Block or weighted Avg. Yield cultivated by farm of Concerned Block (whichever is higher)}}{\text{Cropwise Target of weighted Avg. Yld. Of all affected Outsourcing chak's of Concerned Block}} \times \text{Cropwise targeted Avg. Yld. of Chak}$$

जि

जिस चक पर प्राकृतिक आपदा के पश्चात भी प्रति हेक्टर न्यूनतम उत्पादन का लक्ष्य के बराबर या अधिक प्राप्त होता है, ऐसे चक को इस फार्मूला मे सम्मलित नहीं किया जाएगा । यदि किसी एक ही चक पर अन्य चकों की अपेक्षा ज्यादा बार प्राकृतिक आपदा के कारण फसल उत्पादन प्रभावित होता है तो इस प्रकार नुकसान का आकंलन फार्म की गठित समिति द्वारा करने के पश्चात प्रति हेक्टर उत्पादन लक्ष्य पुनः निर्धारण (Revised Target) किया जाएगा, जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

24. **निविदाता को उर्वरक का उपयोग मृदा परीक्षण रिर्पोट के आधार पर करना होगा तथा बायोफर्टीलाइजर भी अधिकतर क्षेत्र में प्रयोग करना होगा।**

25. **निविदाता द्वारा कीट व बीमारी प्रबंधन के लिये अधिकतर क्षेत्र में आई.पी.एम. प्रक्रिया अपनानी होगी ।**

26. **फसल उत्पादन में होने वाले नुकसान व चोरी आदि की जिम्मेदारी निविदाता की होगी।**

27. **यदि किसी चक में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/थेडी है तो निविदाता द्वारा उक्त क्षेत्र से कोई छेडछाड नहीं की जायेगी तथा कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की खनन गतिविधि नहीं की जायेगी।**

28. **निविदाता को कार्य के किसी भी क्षेत्र को सबलैट करने का अधिकार नहीं होगा।**

29. हिस्सा आधारित खेती में आउटसोर्सिंग का कार्य (दो) वर्ष (खरीफ-रबी व ग्रीष्म) के लिए होगा. प्रथम वर्ष मे प्राप्त उत्पादन लक्ष्य की पुन समीक्षा, फार्म द्वारा की जायेगी। यदि कृषि कार्यों के समय किसान की ओर से लापरवाही देखी जाती है तो फार्म, समय-समय पर किसानों के पंजीकृत पते पर या ईमेल द्वारा विधिवत पावती के साथ लिखित नोटिस भेजेगा। यदि कोई प्राकृतिक या भौतिक बाधा न होने के बावजूद उत्पादन संतोषजनक नहीं है तो एनएससी के विवेक पर अनुबंध रद्द किया जा सकता है।

यदि हिस्सा आधारित किसान का फसल उत्पादन दो वर्षों में संतोषजनक रहता है,उस स्थिति में फार्म समिति की अनुशंसा के आधार पर फार्म प्रमुख,सीएमडी की स्वीकृति के उपरांत हिस्सा आधारित कार्य को अगले एक वर्ष के लिए (समान नियम और शर्तों पर) आपसी सहमति से बढ़ा सकता है।

30. यदि निविदाताकर्ता द्वारा निर्धारित कार्य उचित समय पर नहीं किया जाता है, तब फार्म निविदाताकर्ता के जोखिम एंव लागत पर निर्धारित कार्य संचालन का अधिकार होगा और निविदाकर्ता को प्रतिपूर्ति किये जाने वाली अंतिम राशि से कार्य संचालन की लागत के साथ-साथ 5 प्रतिशत प्रवेक्षण प्रभार की भी कटौती की जाएगी। यदि वह एक सीजन में इस प्रकार की गलती तीन बार दोहराता है तब बिना कोई सूचना के उसका करार समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। उसे भविष्य में निविदा में भी भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा, साथ ही उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर दी जाएगी।

31. निविदाकर्ता को उसके द्वारा खरीदे जाने वाले 500/- रू० के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इन नियमों व शर्तों को करार के रूप में हस्ताक्षर करना होगा। मूल करार फार्म के पास रहेगा और उसकी प्रमाणित प्रति निविदाकर्ता को दी जायेगी।

32. नियमानुसार अंतिम भुगतान से पहले TDS सभी कर व अन्य कटौतिया काटने के बाद ही भुगतान किया जाएगा

33. नाली के पानी का स्वतंत्र प्रवाह, उसका भंडारण व वितरण का सम्पूर्ण अधिकार फार्म का होगा ।

34. समय समय पर भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों / आदेशों की निविदादाता द्वारा अनुपालना करनी होगी।

35. इस निविदा दस्तावेज के नियम व शर्तों में किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए सिविल/आपराधिक कार्यवाही का सामना करने का उतरदायित्व निविदादाता पार्टी का होगा।

36. निविदा में दिये सीजनवार क्षेत्र में उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार फसलवार बुआई क्षेत्रफल को आवंटित करने का अधिकार फार्म का होगा, जिसके अनुरूप निविदाता को बुआई करनी होगी । दिये गए लक्ष्य के सापेक्ष में फसल/क्षेत्र का 10 प्रतिशत तक ज्यादा व कम का बदलाव फार्म प्रमुख की सहमति से किया जा सकता है।

37. सफल निविदादाता द्वारा लगाए गए सभी श्रमिकों को अपने आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी जमा करनी होगी और निविदादाता /किसान/उत्पादक लिखित रूप में यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा लगाए गए सभी श्रमिक किसी भी प्रकार की चोरी, क्षति में शामिल नहीं होंगे। कृषि संपत्तियों या

किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों का सहारा नहीं लेंगे और एनएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे।

यदि किसान या उसके द्वारा नियोजित कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो फार्म प्रमुख को "सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत कब्जेदार की बेदखली) अधिनियम, 1971" के तहत प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग कर,अवैध गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के फार्म के अंदर प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा सकता है।

38. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इसे आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे । यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा । इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकल मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा । विवाद के न्यायालय में जाने से पहले, दोनों पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे । मध्यस्थता नई दिल्ली में और अँग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी । न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा ।

निविदाता के हस्ताक्षर   नामित फार्म प्रतिनिधि